न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/89

–: प्रार्थीया :–

1. सायरी देवी पत्नी पोकरराम जाति जाट निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. दयालराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़
2. परसाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़
3. साबू पत्नी नरेन्द्र जाति जाट निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़
4. अंगूरी पत्नी रामजीवण जाति जाट निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़
5. तहसीलदार भोपालगढ़

<u>राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–** 03.01.22

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम आसोप चक द्वितीय की सरहद में भूमि खसरा नं. 3074 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारी एवं कब्जा की आई हुई है एवं रेकोर्डड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि को आगे प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा, सबूत के तौर पर नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश संलग्न है। प्रार्थीया के वादग्रस्त आराजी के पास में खसरा नं. 3069, 3069/2, 3072, 3073 व 3075 अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगणों की भूमि प्रार्थीया की भूमि के आस पास में आई हुई है तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त की है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगणों के बीच विवादित खेत को लेकर आये दिन विवाद रहता है तब प्रार्थीया ने अपने खसरा नं. 3074 का सीमांकन करवाया तथा सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट दिनांक 08/06/2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को मान नही रहे है तथा प्रार्थीया की विवादित भूमि को आये दिन खुर्द बुर्द कर रहे है। अप्रार्थीगण विवादित खेत के खुर्द बुर्द कर अपने खेत में मिलाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण धनबल व भूजबल वाले झगडालू प्रवृति के [illegible] इसलिए सीमांकन कर पत्थरगढी किया जावे ताकि दोनों पक्षों के बीच आये [illegible] रहेगा। प्रार्थीया सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु जो भी खर्चा है वह वहन [illegible] हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम आसोप में स्थित भूमि खसरा नं. 3074 का मौके पर नाप कर सीमांकन व पत्थरगढी करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीया वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थीया वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीया के राजस्व ग्राम आसोप चक द्वितीय की सरहद में भूमि खसरा नं. 3074 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आसोप चक द्वितीय की सरहद में भूमि खसरा नं. 3074 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक संसाधन प्रार्थीगण उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

03.01.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 03/01/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

03.01.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भोपालगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested